

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 25275320
तार : यूनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

क.सं.वि.क./रैगिंग/2024-2025 / 178


दिनांक :- 11 OCT 2024

// सूचना //

अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर से प्राप्त संलग्न आदेश कं. / 1319 / व0लि0 / 2024 इन्दौर दिनांक 03/10/2024 के आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2024-2025 हेतु समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाओं में गठित एंटी रैगिंग समिति में इन्दौर जिले के संचालित उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की विभिन्न संस्थाओं/महाविद्यालय में जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रान्तर्गत के संबंधित एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को मनोनित किया जाता है।

अतः समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाओं में गठित एंटी रैगिंग समिति में एस.डी.ओ.अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला प्रशासन के मनोनित प्रतिनिधि होंगे।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

क.सं.वि.क./रैगिंग/2024-2025 / 178

दिनांक :- 11 OCT 2024

प्रतिलिपि:-

- 1/ आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन, सतपूडा भवन, भोपाल।
- 2/ कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर।
- 4/ प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/संचालक, वि.वि. से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय, जिला इन्दौर, खरगोन, खण्डवा, धार, झाबुआ, बडवानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 5/ विभागाध्यक्ष/निदेशक, समस्त अध्ययनशालाएँ, देअविवि, इन्दौर।
- 6/ मुख्य प्रपालक तथा समस्त प्रपालक विश्वविद्यालयीन छात्रावास, देअविवि, इन्दौर।
- 7/ कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, देअविवि, इन्दौर।
- 8/ आई.टी. सेंटर, विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधिष्ठाता छात्र कल्याण

कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर (म०प्र०)

क्रमांक /

/ व०लि० / 2024


इन्दौर, दिनांक

आदेश

इन्दौर जिले के संचालित उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की विभिन्न संस्थाओं / महाविद्यालय में गठित "एटी रैंगिंग समिति" में शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रान्तर्गत के संबंधित एस०डी०ओ० अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को मनोनित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

DSO



अपर कलेक्टर

जिला- इन्दौर (म०प्र०)

पृ०क्र० / 1319 / व०लि० / 2024

7-10-2024

इन्दौर, दिनांक 03/10/2024

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त उच्च शिक्षा म०प्र० शासन भोपाल।
2. आयुक्त तकनीकी शिक्षा, म०प्र० शासन, भोपाल।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, म०प्र० शासन भोपाल।
4. आयुक्त (राजस्व) इन्दौर संभाग इन्दौर।
5. निज सहायक कलेक्टर जिला इन्दौर।
6. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला इन्दौर की प्रार पालनार्थ।
7. समस्त उच्च शिक्षण संस्थान / तकनीकी शिक्षण संस्थान / चिकित्सा शिक्षण संस्थान इन्दौर की और सूचनार्थ।
8. कुल अधिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर।

Secy

18/10/24

अपर कलेक्टर

जिला- इन्दौर (म०प्र०)